प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त , 2022

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 ईपी (वीटी-यूपीके) पर लगे हुए Reduction Gear Box (RGB) Assembly Part No. 3049010-01 Serial No. CP-GB-UB0047 पर 2000 घण्टे पूर्ण होने पर Clutch Inspection का कार्य कराए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 123/सी0ए0डी0यू0पी0/पी-09/यू0पी0के0-इंजन/21-22 दिनांक 11 अगस्त, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 ईपी (वीटी-यूपीके) पर लगे हुए Reduction Gear Box (RGB) Assembly Part No. 3049010-01 Serial No. CP-GB-UB0047 पर 2000 घण्टे पूर्ण होने पर Clutch Inspection का कार्य कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या 41- 2022 / 653 / छप्पन 2022-153/ 2000 दिनांक 29 अप्रैल 2022 के द्वारा रू0 70,92,729/- (रूपये सत्तर लाख बानवे हजार सात सौ उनतीस मात्र) की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निर्गत की गई है। इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अवगत कराया गया है कि निर्माता फर्म M/s Pratt & Whitney, Canada की सिंगापुर स्थित कार्यशाला के द्वारा RGB Assembly का Strip Down Inspection पूर्ण कर Final Cost Estimate No. 21-10-001-2 (R3) दिनांक 04 अगस्त, 2022 के अनुसार सम्प्रति कुल रू0 1,28,90,343/- (रू0 एक करोड़ अठ्ठाईस लाख नब्बे हजार तीन सौ तैतालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या 41- 2022 / 653 / छप्पन 2022-153/ 2000 दिनांक 29 अप्रैल 2022 को निरस्त किया जाना है।

2- अत: श्री राज्यपाल राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 ईपी (वीटी-यूपीके) पर लगे हुए Reduction Gear Box (RGB) Assembly Part No. 3049010-01 Serial No. CP-GB-UB0047 पर 2000 घण्टे पूर्ण होने पर Clutch Inspection का कार्य कराए जाने हेतु निर्माता फर्म M/s Pratt & Whitney, Canada की सिंगापुर स्थित कार्यशाला के द्वारा RGB Assembly का Strip Down Inspection पूर्ण कर Final Cost Estimate No. 21-10-001-2 (R3) दिनांक 04 अगस्त, 2022 के अनुसार कुल यू0एस0 डालर 116300.92 का भुगतान, जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 82 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से 95,36,675/- तथा साख पत्र खोले जाने हेतु रू0 95,36,675/- 10 प्रतिशत अर्थात रू0 9,53,667.50 अर्थात कुल रूपए 1,04,90,343 /- (एक करोड़ चार लाख नब्बे हजार तीन सौ तैंतालीस

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ उपरोक्त कम्पोनेन्ट को कार्योपरान्त पुन: आयात करने के लिए अनुषांगिक व्यय जैसे कि कस्टम ड्यूटी एवं फ्रेट चार्जेज के भुगतान हेतु निदेशालय से सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे०बी०के० लाजिस्टिक, नई दिल्ली को रूपए 24,00,000/- (रूपए चौबीस लाख मात्र) अग्रिम के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति अर्थात कुल रू0 1,28,90,343/- (रू0 एक करोड़ अठ्ठाईस लाख नब्बे हजार तीन सौ तैतालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या 41-2022 / 653 / छप्पन 2022-153/ 2000 दिनांक 29 अप्रैल 2022 के निरस्तीकरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को किसी बैंक खातें में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निदेशक, नागिरक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष आवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

11- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-67/दस-2022-23 दिनांक 16 अगस्त, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या: 63/2022/1309(1)/छप्पन-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।